

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनबीम सनसिटी स्कूल एण्ड हास्टल
करसड़ा, बच्छोंव, वाराणसी।

पत्रांक: /बेसिक/

5305-08

/2016-2017/दिनांक: 28-7-2016

विषय:

विद्यालय के स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18(20)/91दिनांक: 08मई, 2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक: बेसिक/4778-82/2012-13/ दिनांक: 30-7-2012 के द्वारा सनबीम सनसिटी स्कूल एण्ड हास्टल करसड़ा, बच्छोंव वाराणसी को तारीख 01-07-2012 से तारीख 30-06-2015 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अनन्तम अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गई थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक: 15-7-2016 के द्वारा अन्य पत्रजात संलग्न करते हुये विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं तारीख 01-07-2012 से तारीख 30-06-2015 के बीच तथा अद्यतन तक मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप सनबीम स्कूल एण्ड हास्टल करसड़ा, बच्छोंव वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक: बेसिक/4778-82/2012-13/दिनांक: 30-7-2012 के द्वारा दी गई मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18 (20)/91दिनांक: 08 मई, 2013 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानको एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई हो तो शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18(20)/91दिनांक: 08मई, 2013 के नियम-13 के उप नियम (क) (ख) (ग) (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने, पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

(हरिकेश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी। 28/7/16

पू0सं0: /बेसिक/

/2015-2016/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र-काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(हरिकेश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।